

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र / 2 / 2011-पार्ट

ज्ञायधुर, दिनांक 9.9.2011

— आदेश :—

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के समुख अंकित राजलीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं :—

क्र.सं	वरियता सं	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	83 / 05	श्री राधश्याम जाट प्रधानाचार्य, राजकीय पोदवार उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर, जयपुर	गा/43, गांधीनगर (ए-103, जवाहरनगर के स्थान पर)	31.7.2020
2.	29 / 08	श्रीमती राजेश रानी माथुर द्वारा द्वारा, राजकीय विज्ञान, राजकीय पी. सिनियर सैकण्डरी स्कूल, गांधीनगर, जयपुर	गा/106, गांधीनगर (15/56 मालवीयनगर के स्थान पर)	30.6.2022
3.	123 / 08	श्री इश्याम सिंह नरस शेड-गा. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर 13/III/ सी बहुमजिला आवास गांधीनगर जयपुर	3/गा/डी, बहुमजिला गांधीनगर (13/गा/सी बहुमजिला के स्थान पर)	31.7.2026
4.	145 / 08	श्री शतोष प्रकाश माथुर निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता ग्रामीण, जन रक्षण अभियांत्रिकी विभाग, 2. सिलिल लाईन, जयपुर	9/गा/सी, बहुमजिला गांधीनगर	30.4.2025
5.	25 / 09	श्रीमती मधुरानी चांदू कनिष्ठ लेखाकार, कृषि निदेशालय कृषि विभाग, कृषि भवन, जयपुर।	गा/19, गांधीनगर	31.12.2018
6.	37 / 09	श्री वावलाल शमा मेल नक्ष, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	2/गा/ए, बहुमजिला गांधीनगर	31.12.2020
7.	42 / 09	श्रीमती कृष्ण कान्ता शमा अधीक्षक, पुरातत्त्व एवं संगाहालय विभाग, जयपुर।	17/गा/सी, बहुमजिला गांधीनगर	30.11.2033
8.	65 / 09	श्री उत्तम सिंह मुख्य विधि सहायक, डिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक(विधि) एन.डी.डी. स्कूल परिसर पी-एकी-७, जयपुर।	गा/91, गांधीनगर	30.6.2025
9.	74 / 09	श्री गौरी शंकर शमा कनिष्ठ लेखाकार, निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग वित्त भवन, जयपुर।	ई-920, गांधीनगर	31.7.2023
10.	81 / 09	श्री वृंज सुन्दर शमा वरिष्ठ निजी सहायक, आतोरिक त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	गा/104, गांधीनगर	31.5.2019
11.	87 / 09	डॉ गोविन्द यादव पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभावीकरण अनुभाग बी.पी.लैब, पशुपालन विभाग, जाम डोली, आगरा रोड, जयपुर	गा/22, गांधीनगर	30.6.2032
12.	93 / 09	श्री रुद्रेश कुमार मोटवानी सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	गा/36, गांधीनगर	31.10.2013

13.	94 / 09	श्रीमती प्रवीणा चारण अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	गा./69, गांधीनगर	30.9.2033
14.	97 / 09	श्री वीरेन्द्र सिंह पुरोहित सांख्यिकी सहायक, कार्यालय उप शासन सचिव, वित्त (संस्थागत वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गा./72, गांधीनगर	30.6.2017
15.	4 / 2010	श्री आशाराम मीणा कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वारक्ष्य अभियान्त्रिकी विभाग, उपखण्ड प्रतापनगर, जयपुर	15 / 69, मालवीयनगर	31.7.2025
16.	91 / 2010	श्रीमती हेमलता अग्रवाल व्याख्याता (रा.वि.) महाराजा राजकीय बालिका उच्च भाष्यामिक विद्यालय, छोटी चौपड़, जयपुर	ए-69, जवाहरनगर (ए-71, जवाहरनगर के स्थान पर)	31.8.2041
17.	55 / 2011	डॉ० आरीफ छीपा चिकित्सा अधिकारी, सी.ए.एस.पी.जी.शिशु भेषक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-6, जवाहरनगर (ए-65, जवाहरनगर के स्थान पर)	31.1.2041
18.	70 / 2011	डॉ० रामस्वरूप सी.ए.एस.पी.जी. सर्जरी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-19, जवाहरनगर (जीए/गा/ठी-2/ 32 विद्याधरनगर के स्थान पर)	30.6.2035
19.	71 / 2011	डॉ० विकास कुमार बंसल सी.ए.एस.पी.जी., सर्जरी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-88, जवाहरनगर (जीए/गा/ठी-2/ 40 विद्याधरनगर के स्थान पर)	31.12.2038
20.	74 / 2011	श्री विजेन्द्र सिंह प्राध्यापक डिप्लोमा इन फार्मसी कोर्स जन स्वा.प्रशिक्षण संस्थान भवन सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर, जयपुर।	15 / 24, मालवीयनगर	31.12.2039
21.	75 / 2011	श्री भवानी सिंह बीटू प्राध्यापक डिप्लोमा इन फार्मसी कोर्स जन स्वा.प्रशिक्षण संस्थान भवन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	15 / 48, मालवीयनगर	30.11.2044
22.	76 / 2011	डॉ० सुरेन्द्र पाल मौर्य चिकित्सा अधिकारी, शाल्य विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-99, जवाहरनगर	31.7.2039
23.	77 / 2011	डॉ० शिमला भीना चिकित्सा अधिकारी ऐनेथिसिया, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-152, जवाहरनगर	31.7.2036
24.	78 / 2011	श्री नरेन्द्र सिंह भदोरिया चिकित्सा अधिकारी सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	15 / 70, मालवीयनगर	31.8.2040
25.	79 / 2011	डॉ० पवन कुमार बंसल चिकित्सा अधिकारी, सी.ए.एस.पी.जी. सर्जरी सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	15 / 72, मालवीयनगर	31.7.2041
26.	96 / 2011	श्री मुकेश कुमार मीणा आर.ए.एस. उप संस्थापक अधिकार, विभागीय जांच, शासन सचिवालय, जयपुर (नीतिगत निर्णय)	गा./115 एवीएस गांधीनगर	31.1.2035

27.	108/2011	डॉ. इन्द्रिरा चौधरी कृषि अधिकारी, कायोलय संयुक्त निदेशक, कृषि आदान, राजस्थान, जयपुर।	जीए/गा/टी-2/ 16 विद्याधरनगर	30.9.2043
-----	----------	---	--------------------------------	-----------

शर्तः—

- आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चौंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की आवधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उसे धैत्र में अनुशङ्ख हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :—
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रख्य/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं गिया गया है।
 - कम संख्या —3 पर अंकित श्री श्याम सिंह से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
 - कम संख्या —4 पर अंकित श्री सीतीश प्रकाश माथुर से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
 - कम संख्या —6 पर अंकित श्री बाबूलाल शर्मा से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
 - कम संख्या —7 पर अंकित श्रीमती कृष्ण कान्ता शर्मा से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
 - कम संख्या —26 पर अंकित श्री मुकेश कुमार मीणा से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
 - उपरोक्त के आतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।


आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, भिन्नी सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्गमन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
- जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा संकुल, जयपुर।
- प्रधानाचार्य, राजकीय पौदादार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
- प्रधानाचार्य, राजकीय पी. सिनियर ऐकेण्ट्री स्कूल, गांधीनगर, जयपुर।
- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
- नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
- आयुक्त, कृषि निदेशालय, कृषि पंत भवन, जयपुर।
- निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर।
- जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) एनवीडी स्कूल परिसर, सी-स्कॉम, जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेश्वर विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
- शासन उप सचिव, कार्मिक (ख. 1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।

20. प्रभारी अधिकारी, प्रभावीकरण अनुभाग बी.पी. लैब पशुपालन विभाग, जामडौली, जयपुर।
21. आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
22. शासन उप सचिव, वित्त (संरचागत वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
24. सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड प्रतापनगर, जयपुर।
25. प्रधानाचार्य, महाराजा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर।
26. प्रभारी अधिकारी, डिप्लोमा इन फोर्मसी कोर्स, जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान भवन, सर्वाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर, जयपुर।
27. शासन उप सचिव, कर्मिक (क-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
28. कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि आदान, राजस्थान, जयपुर।
29. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी ह्वारा निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
30. अधिशापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विभाग लि 0 गौधीनगर/जयाहरनगर/मालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
31. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गौधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
32. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
33. निदेशक, उद्धान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
34. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की टेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
35. संबंधित अधिकारीगण !
36. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
37. निजी-सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
38. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग।
39. रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव